

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2018/


दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक, जिनकी राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राज्य सेवा से नाम पृथक किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	मृत्यु दिनांक	सेवा से विलोपित दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, व0 लैब टेक्नीशियन	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री कपिल देव राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना जिला सीकर	10.06.1972	12.02.2018	12.02.2018
2.	श्री जसमत सिंह, लैब टेक्नीशियन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर	05.11.1972	22.01.2018	22.01.2018

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./ (1149)/2018/ 340

दिनांक : 31-5-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर/भरतपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्री कपिल देव राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना जिला सीकर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. संबंधित कर्मचारियों के आश्रित परिवार को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।